तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 45/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
31.3.2022		

पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र जगदीश जी विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– सारी की ढाणी, मांडवास, तहसील– रोहिट, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, बस स्टेण्ड, बरलुट, सिरोही, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई उपस्थित।

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.7.2020 को फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, बस स्टेण्ड, बरलुट, तह. सिरोही, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का नमूना संख्या S-1135 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./283/Act/2020/283 दिनांक 21.7.2020 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 22.3.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी की छोटी सी डेयरी बरलुट में है और इस डेयरी में दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता है। दिनांक 10.7.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की डेयरी से दूध का सेम्पल लिया था उसमें फेट की मात्रा कुछ कम आई है। प्रार्थी दूध आस पास के गांवों से इक्कठा करके बेचता है। प्रतिवादी ने दूध में कुछ नही मिलाया है तथा न ही जांच में दूध असुरक्षित पाया गया है, इसलिये प्रकरण में प्रतिवादी पर कम से कम जुर्माना करके प्रकरण को निस्तारण किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायलय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 10.7.2020 को [illegible] 15 पी.एम. पर फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, बस स्टे[illegible] सिरोही, तह. सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर [illegible] एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी [illegible] विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– सा[illegible]सील– रोहिट, जिला– पाली उपस्थित मिले, जो फर्म गुरु कृपा दूध [illegible]री, बस स्टेण्ड, बरलुट में

......लगतार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 45/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

आम जनता को मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले दूध के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी दिनेश कुमार को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए पर प्रतिवादी दिनेश कुमार, उक्त गवाह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी के अन्दर डिप फ्रिज में आम जन के लिये बिक्री हेतु मौजूद मिक्स्ड मिल्क लगभग 40 लीटर को उसमें मौजूद प्लंजर से अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एकरुप किये हुए मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/– (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) नकद अदा कर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता दिनेश कुमार एवं गवाह श्री विशाल सिंह को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा मिक्स्ड मिल्क को चारों शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डाली एवं चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S–1135, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना शीशीयों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-1135 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी दिनेश कुमार व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे प्रतिवादी दिनेश कुमार ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवादी दिनेश कुमार व उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क [illegible] ना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु जमा कराकर रसीद प्राप्त की [illegible] शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व

........लगातार

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:09 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 45/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 10.7.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./283/Act/2020/283 दिनांक 21.7.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का नमूना संख्या S-1135 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्याःएफएसएसए/2020/368–70 दिनांक 10.8.2020 के द्वारा प्रतिवादी दिनेश कुमार को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारुप–8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन पुनः जांच हेतु प्रतिवादी ने आवेदन नही किया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार ने उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र जगदीश जी विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– सारी की ढाणी, गांव– मांडवास, तहसील– रोहिट, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गृरु कृपा दूध डेयरी, बस स्टेण्ड, बरलुट, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) ने खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र जगदीश जी विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– सारी की डाणी, मांडवा, तहसील– रोहिट, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, बस स्टेण्ड, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी दिनेश कुमार को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा [illegible] की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. [illegible] दिनांक 12.5.2020 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:09 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खोड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही